उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0नं0-25/2018-19

नवल चन्द्र घोष

वनाम

सुबोध साह एवं अन्य

आदेश

दिनांक 6/2/2020

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख में अभिलेखवद्ध कागजातों का समग्र रूप से अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता नवल चन्द्र घोष, पे0–स्व0 राम नारायण घोष, सा0–कोयला, थाना–हनवारा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–16/2017–18 (अंचल अधिकारी, महागामा वनाम सुबोध साह वगै0) में आदेश दिनांक 19.07.2018 के आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता का कथन है कि मौजा–सारथू नं0–479 जमाबंदी नं0–09 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में संयुक्त रूप से उपेन्द्र नारायण घोष पे0–द्वारिका नाथ घोष, मोसमात जोगमाया दासी पति–अयोध्या प्र0 घोष, मोसमात रामपति दासी पति–बदन चन्द्र घोष के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता जमाबंदी रैयत–उपेन्द्र नारायण घोष के वंशज है। जमाबंदी रैयत–उपेन्द्र नारायण घोष को एक पुत्र रामनारायण घोर्ष हुए, जिसका चार पुत्र क्रमशः सुबल चन्द्र घोष वो पतल चन्द्र घोष वो कमल चन्द्र घोष वो नवल चन्द्र घोष (अपीलकर्त्ता) हुए। दुसरी तरफ उत्तरवादी द्वितीय पक्ष जमाबंदी रैयत–योगमाया दासी, पति–अयोध्या प्र0 घोष के वंशज है। जमाबंदी रैयत योगमाया दासी को एक पुत्री सुशीला दासी, पति–तारणी प्र0 दत्ता हुए, जिसका पुत्र नीलकंठ दत्ता हुए। नीलकंठ दत्ता को दो पुत्र आशीष मजुमदार वो अभिजीत मजुमदार उत्तरवादी द्वितीय हुए। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है। उनलोगों का मौजा–सारथू के जमाबंदी नं0–09 की जमीन से कोई सरोकार नहीं है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष ने संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 के विपरीत उत्तरवादी प्रथम पक्ष को अवैध ढंग से जमीन हस्तान्तरण किया है। इस अवैध हस्तान्तरण के विरूद्ध अपीलकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, महागामा को आवेदन दिया, जिसपर अंचल अधिकारी,

महागामा ने रा0वि0 वाद सं0–03/17 प्रारम्भ किया गया एवं तथ्यों का जाँचकर दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष एवं कागजात दाखिल करने हेतु नोटिश दिया गया। अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा कागजातों के जाँचोपरांत पाया कि उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा मौजा–सारथू के जमाबंदी नं0–09 का गलत तरिके से बनाया गया, पर्चा दाखिल किया गया। उस पर्चा में जमाबंदी रैयत–उपेन्द्र नारायण घोष के नाम अंकित नहीं था। जब स्थल जाँच किया गया एवं जिला अभिलेखागार, गोड्डा से जमाबंदी नं0–09 का अभिप्रमाणित प्रति की मांग की गयी। उसमें पाया गया कि उपेन्द्र नारायण घोष भी उसमें जमाबंदी रैयत है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष सुबोध साह वगै0 के द्वारा अंचल अधिकारी, महागामा के समक्ष स्वीकार किया गया कि उनलोगों के द्वारा जमीन उत्तरवादी द्वितीय पक्ष से दान पत्र के माध्यम से खरीद किया है। अंचल अधिकारी, महागामा ने उत्तरवादी प्रथम पक्ष को प्रश्नगत जमीन से उच्छेद करने के लिए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विरूद्ध आर0ईआर0 की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया। नोटिश पर उत्तरवादी प्रथम पक्ष उपस्थित हुए, लेकिन अपना कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा मध्यागन्तुक पक्षकार बनने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। उनके आवेदन पर उनको माध्यागन्तुक पक्षकार बनाया गया एवं उनकी ओर से अपना कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और उस कारण पृच्छा में स्वीकार किया गया कि उत्तरवादी द्वितीय के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष को जमीन हस्तान्तरण किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा भी अवैध दखलकार को उच्छेद करने के लिए अनुशंसा किया गया लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने स्वत्व का मामला दर्शाते हुए प्रक्रिया को समाप्त किया गया। जबकि अपीलकर्त्ता एवं मध्यागन्तुक पक्षकार का मामला नहीं है। मामला बाहरी व्यक्ति जो कि अवैध ढंग से वादगत भूमि पर दखलकार है, को उच्छेद करने से संबंधित है। उनका आगे कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा अपने आदेश में आर0ई0आर0 केश नं0–305/1934–35 का उल्लेख किया गया है, वह वाद दाग नं0–69 की जमीन से संबंधित है और अवैध दखलकार उस जमीन को दखल नहीं किया है, बल्कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा दाग नं0–22 रकवा 03–04–19 धुर जमीन के अंतर्गत

की जमीन को अवैध से ढंग से दखल किया है। उनका आगे कथन है कि कपटपूर्ण एवं गलत व्यानी के आधार पर नामांतरण किया गया है और नामांतरण के आधार पर किसी का हक एवं अधिकार प्रभावित नहीं होता है तथा मुटेशन का जानकारी भी अपीलकर्त्ता को नहीं है। इस आलोक में निम्न न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है। उन्हौनें निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष का कथन है कि वादगत जमीन के असली मालिक उत्तरवादी द्वितीय पक्ष आसीश कुमार मजुमदार एवं अभिजीत मजुमदार है। जिसके साथ उत्तरवादी प्रथम पक्ष का व्यापारिक हित निहित है। अपीलकर्त्ता नवल चन्द्र घोष का उक्त जमाबंदी की जमीन से कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादी को परेशान करने के नियत से वाद दायर किया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। उनलोगों ने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 का कथन है कि मौजा–सारथू नं0–479 जमाबंदी नं0–09 कुल रकवा 13–18–08 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 योगमाया दासी पति–अयोध्या प्रसाद घोष के साथ समपतमनी दासी, पति–बदन चन्द्र घोष के नाम से दर्ज है। यह जमीन उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 की पैतृक जमीन है। जबकि दूसरे तरफ अपीलकर्त्ता का दादा उपेन्द्र नारायण घोष को उस जमीन से कोई संबंध नहीं है। उल्लेख करना है कि वर्ष 1926 के पूर्व तीन मौजा 1. कोयला 2. सारथू 3. विशनपुर में संयुक्त जमीन था। वर्ष 1926 ई0 में सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा आदेश के आलोक में बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा 1. सारथू 2. कोयला मौजा की जमीन उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के पूर्वज के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया तथा विशनपुर की जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज के नाम से दर्ज करने का आदेश दिया गया और उस आदेश के आलोक में दोनों पक्ष अपने–अपने जमीन पर शांतिपूर्ण ढंग से दखलकार हुए। इसका पर्याप्त साक्ष्य उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के पास उपलब्ध है। उनका आगे कहना है कि तथ्य एवं कानून के सिद्धांत के अनुरसार जब वादगत जमीन के संबंध में पूर्व में बंदोवस्त पदाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को उस आदेश पर हस्तक्षेप करने का को शक्ति प्राप्त नहीं है क्योंकि उस आदेश बंदोवस्त पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा वर्ष 1926 ई0 में पारित किया गया है।

उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उत्तरवादी सं0–11 एंव 12 जमाबंदी रैयत योगमाया दासी, पति–अयोध्या प्रसाद घोष के वंशज है। योगमाया दासी, पति–अयोध्या प्रसाद घोष को एक पुत्र नीलकंठ दत्ता हुए। नीलकंठ दत्ता को दो पुत्र आसीस कुमार मजुमदार एवं अभिजीत कुमार मजुमदार हुए। अपीलकर्त्ता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 का उल्लंघन कर जमीन हस्तान्तरण किया है, बिल्कुल ही गलत है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत कृषि योग्य जमीन से उच्छेद करने का प्रावधान है, लेकिन वादगत जमीन खतियान के अनुसार टीकर की भूमि है और अंचल अधिकारी, महागामा के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उस जमीन पर उत्तरवादी सं0–11 एंव 12 का मकान निर्मित है। उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के द्वारा उस जमीन का किसी तरह का कोई हस्तान्तरण नहीं किया है। अपीलकर्त्ता का यह आरोप है कि जमाबंदी रैयत–उपेन्द्र नारायण घोष का नाम मौजा–सारथू के जमाबंदी नं0–09 से नाम हटाया गया है, बिल्कुन निराधार है क्योंकि पर्चा में नाम सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी के आदेश से दर्ज हुआ है। उनका आगे कथन है कि उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के द्वारा उत्तरवादी प्रथम पक्ष सुबोध साह वगैरह को जमीन हस्तान्तरण नहीं किया है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष के द्वारा निम्न न्यायालय में शपथ पत्र दिया गया था कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष का उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के साथ व्यापारिक हित निहित है। ऐसी स्थिति में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 के द्वारा अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–72/रा0 दिनांक 28.01.2019 से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–सारथू नं0–479 जमाबंदी सं0–09 कुल रकवा 13–18–08 धुर भूमि कार्यालय में उपलब्ध ~~Contitious~~ Continuous खतियान में मो0 जोगमाया दासी जौजे अयोध्य प्रसाद घोष वो मो0 सम्पतमनी दासी जौजे बदन चन्द्र घोष कौम काएस्थ सा0–कोयला दर्ज है। मौजा–सारथू के पंजी–2 के पेज नं0–10 पर जमाबंदी नं0–09 कुल रकवा 13–18–08 धुर भूमि मो0 जोगमाया दासी

जौजे अयोध्या प्रसाद घोष वो मो0 सम्पतमनी दासी जौजे बदन चन्द्र घोष कौम काएस्थ सा0–कोयला दर्ज है। परिवर्तन के अधिकार के कॉलम में अंकित है कि अंचल अधिकारी, महागामा के दाखिल खारीज केश नं0–01/75–76 आदेश दिनांक 03.05.75 के अनुसार कुल जमीन 11–08–18 धुर जमीन नामांतरण निलकंठ दत्ता, पिता–तारणी प्रसाद दत्ता के नाम से किया गया है। अभिलेखगार द्वारा तैयार किये गये पर्चा में उपेन्द्र नारायण घोष वल्द द्वारिका नाथ घोष वो मो0 जोगमाया दासी जोजे अयोध्या प्रसाद घोष को मो0 सम्पत मनी दासी जौजे बदन चन्द्र घोष कौम काएस्थ सा0–कोयला दर्ज है। अंचल अधिकारी, महागामा का यह भी प्रतिवेदन है कि उत्तरवादी सं0–01 से 10 के द्वारा दाग नं0–22 पर अवैध रूप से मकान का निर्माण किया गया है, जो संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 का उल्लंघन है।

उपरोक्त तथ्यों, निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क से स्पष्ट है कि वादगत जमीन जमाबंदी की रैयती जमीन है। उत्तरवादी सं0–01 से 10 के द्वारा उक्त मौजा–सारथु नं0–479, जमाबंदी सं0–09 के अन्तर्गत दाग न0–22 की जमीन पर अवैध ढंग से मकान का निर्माण किया गया है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 के विपरीत है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–20 एवं 42 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तरवादी सं0–01 से 10 तक को मौजा–सारथू, जमाबंदी सं0–09, दाग नं0–22 की जमीन से उच्छेद किया जाता है। चूँकि उक्त जमीन दाखिल खारिज वाद सं0–01/75–76 के द्वारा नीलकंठ दत्ता के नाम से नामांतरण किया गया है। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी सं0–01 से 10 तक को आदेश दिया जाता है कि भूमि उत्तरवादी सं0–11 एवं 12 को वापस कर दें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

6/2/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

6/2/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen
R Kumar
G.P.
28/5/2020

45
16/10/20

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:31:37 +05:30
Location: 192.168.29.8